



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा

परीक्षा योजना

(क) सेवा में सम्मिलित पद :-राज्य अभियांत्रिकी सेवा में सम्मिलित पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पद का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	संबंधित अभियांत्रिकी विषय
1	सहायक यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग	बी.ई. (सिविल)	Civil Engineering
2	सहायक यंत्री (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	बी.ई. (सिविल)	Civil Engineering
3	सहायक यंत्री (सिविल) जेल विभाग	बी.ई. (सिविल)	Civil Engineering
4	सहायक यंत्री (यांत्रिकी), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	बी.ई. (मेकेनिकल)	Mechanical Engineering
5	सहायक यंत्री (वि.सू) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक उर्जा	बी.ई. (इलेक्ट्रिकल)	Electrical Engineering
6	निरीक्षक बायलर ग्रेड- I, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	बी.ई. (मेकेनिकल, विद्युत संयंत्र, प्रोडक्शन, धातु विज्ञान)	Mechanical Engineering, Power Engineering, Production engineering, Metallurgical science
7	निरीक्षक बायलर ग्रेड- II, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	बी.ई. (मेकेनिकल, विद्युत संयंत्र, प्रोडक्शन, धातु विज्ञान)	Mechanical Engineering, Power Engineering, Production engineering, Metallurgical science
8	उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी), गृह विभाग	बी.ई. (मेकेनिकल, या आटोमोबाईल)	Mechanical Engineering, Automobile Engineering
9	उप पुलिस अधीक्षक (रेडिया), गृह विभाग	बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक / टेलीकम्युनिकेशन / प्रौद्योगिकी)	Electronics / Telecommunication Engineering/ technology
10	उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर), गृह विभाग	बी.ई. कम्प्यूटर साइंस (प्रौद्योगिकी)	Computer Science (Technology)
11	सहायक यंत्री (सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल) जल संसाधन विभाग / नगरीय प्रशासन विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	बी.ई. (सिविल / मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल)	Civil Engineering / Mechanical Engineering / Electrical Engineering

(अ) अंक योजना :-

ऑनलाइन परीक्षा	पूर्णांक	अवधि
खंड 'अ' – मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान	150	3 घंटे
खंड 'ब' संबंधित विषय	300	
योग	450	
साक्षात्कार	50	
कुल अंक	500	

(ब) प्रश्न पत्र योजना :-

1. खंड (अ) विषय- मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान के लगभग 35 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान-10 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न, इस प्रकार खंड-'अ' में 50 प्रश्न होंगे तथा खंड-(ब) में इंजीनियरिंग विषय से संबंधित प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र 450 अंकों का होगा।
2. प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A,B,C,D) होंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा।
3. प्रश्न-पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र का खंड (अ) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, खंड (ब) इंजीनियरिंग विषय के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा।
4. प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे- भाग-(अ) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत अंक एवं भाग-(ब) विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार मेरिट दोनों खंडों के अंकों को जोड़कर बनेगी। ऑनलाइन परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (3R-W) = प्राप्तांक पद्धति से होगा।

{R= सही उत्तरों की संख्या, W = गलत उत्तरों की संख्या}

अर्थात् प्रत्येक सही उत्तर के लिये 3 अंक प्रदाय किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काटा जावेगा।

साक्षात्कार :-

साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(स) चयन प्रक्रिया :-

- 1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑनलाइन पद्धति से कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- 2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा।
- 3) ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा में 40% अंक खंड 'अ' तथा खंड - 'ब' में पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरान्त अर्ह पाये जायेंगे।
- 5) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से ई-मेल/SMS द्वारा सूचना भेजी जावेगी। आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भी उपलब्ध रहेगा।
- 6) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम आधार पर होगा।
- 7) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक